प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला ACB O.P. Alwar- 1st थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर .वर्ष 2022
प्र0इ0रि0 सं0 .....211.... /2022................दिनांक....30/5/2022

2. (I) 'अधिनियम ... धारायें. 13(1)बी, 13(2), पी.सी.(संशोधित) एक्ट 2018
(II) 'अधिनियम............धारायें ..120 बी भा.द.स.
(III) 'अधिनियम ....धारायें ....
(IV) 'अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....608 समय . 5.45 P.M.
(ब) अपराध घटने का दिन – बुधवार दिनांक 20.04.2022 समय 06.30 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 20.04.2022

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक मौखिक

5. घटनास्थलः– अहिंसा सर्किल तिजारा जिला अलवर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– उत्तर दिशा दूरीं करीब 50 कि0मी0
(ब) पता :
बीट संख्या..........................जयरामदेही सं..............................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :– जरिये सूत्र सूचना
(अ) नामः–
(ब) पिता/पति का नाम –
(स) जन्म तिथि/वर्ष ....
(द) राष्ट्रीयता .भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय .
(ल) पता –

7. <u>ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित</u> :–
श्री सोमदत्त शर्मा पुत्र श्री पूरण चन्द शर्मा, जाति ब्राहम्ण, उम्र 32 साल, निवासी शक्ति की ढाणी, टांकाहेडी, तहसील व थाना किशनगढबास, जिला अलवर, हाल कनिष्ठ सहायक, नगर पालिका मण्डल, तिजारा, जिला अलवर

8 परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..कोई नहीं.....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
7,50,000 रूपये आकस्मिक चैकिंग पर मिली राशि

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्यः– 7,50,000 रूपये आकस्मिक चैकिंग पर मिली राशि

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

हालात इस प्रकार है कि मन उप अधीक्षक पुलिस रविन्द्र सिंह को दिनांक 20.04.2022 को जरिये सूत्र सूचना प्राप्त हुई कि नगर पालिका मण्डल तिजारा के अधिशाषी अधिकारी एवं अन्य कर्मचारीगण ठेकेदारो से उनके द्वारा करवाये गये कार्यो के बिलो को पारित करने की ऐवज मे अवैध राशि लेकर करीब 05.45 पी0एम0 पर नगर पालिका मण्डल तिजारा से निजी वाहन से भिवाडी की तरफ रवाना होगें। सूत्र द्वारा प्राप्त सूचना के बारे मे उच्च अधिकारियों को हालात निवेदन किया गया। तत्पश्चात निर्देशानुसार कार्यालय खनि. अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग अलवर से दो स्वतंत्र गवाह सर्वश्री मनोज शर्मा वरिष्ठ सहायक एवं दीपेश सैनी कनिष्ठ सहायक को तलब कर सूत्र से प्राप्त सूचना पर कार्यवाही करने हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाब्ता श्री साहिब सिंह, सहायक उप निरीक्षक, श्री भौरे लाल हैड कानि., श्री मुबारिक खान कानि., श्री हरिश चन्द शर्मा, कानि. के मय अनुसंधान बॉक्स के जरिये राजकीय वाहन अलवर से वक्त 04.00 पीएम रवाना होकर वक्त 05.45 पीएम अहिंसा सर्किल तिजारा पहुंचकर मुकीम हुये। तत्पश्चात सूत्र द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को सूचना दी गई की नगर पालिका तिजारा के अधिकारी/कर्मचारी वाहन संख्या आर0जे0–02–सीजी–0310

से नगर पालिका से रवाना होकर भिवाडी की तरफ आ रहे है। वक्त 06.10 पी0एम0 पर उक्त वाहन अहिसा सर्किल पर तिजारा कस्बे की तरफ से सामने आता हुआ दिखाई देने पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने हमराही जाब्ता की सहायता से वाहन को रूकवाया। वाहन में एक ड्राईवर व दो अन्य व्यक्ति बैठे हुये थे। मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहिया जाब्ता व गवाहान का परिचय देकर उक्तों का परिचय पूछा तो ड्राईवर के पास आगे बैठे हुये व्यक्ति ने अपना नाम सोमदत्त शर्मा पुत्र श्री पूरण चन्द शर्मा, जाति ब्राहम्ण, उम्र 32 साल, निवासी शक्ति की ढाणी, टांकाहेडी, तहसील व थाना किशनगढबास, जिला अलवर, हाल कनिष्ठ सहायक, नगर पालिका मण्डल, तिजारा मोबाईल नं0 9799601291 होना बताया। गाडी में पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम श्री वसीम खान पुत्र श्री झडमल खान, जाति मेव, उम्र 30 साल, निवासी इछाका, तहसील व थाना किशनगढबास, जिला अलवर मोबाईल नं0 9983860505 हाल कनिष्ठ लेखाकार नगर पालिका खैरथल अतिरिक्त कार्यभार नगर पालिका लक्ष्मणगढ जिला अलवर होना बताया। गाडी की ड्राईवरी कर रहे व्यक्ति ने अपना नाम श्री सुरेन्द्र जोशी पुत्र श्री सुभाष चन्द जोशी, जाति ब्राहम्ण, उम्र 36 साल, निवासी भिवाडी रोड, तिजारा, जिला अलवर मोबाईल नं0 9929161515 एवं नगर पालिका मे ठेकेदारी का कार्य करना बताया। दोनों गवाहान से गाडी की तलाशी लिवाई गई तो श्री सोमदत्त शर्मा, जो ड्राईवर सुरेन्द्र कुमार जोशी के बगल में बैठा हुआ था, उसके पायदान पर एक काले कलर का पीठू बैग रखा हुआ था। बैग के बारे में पूछने पर श्री सोमदत्त शर्मा ने बैग स्वयं का होना बताया। बैग की तलाशी लिवाने पर 500–500 रू0 की गड्डीया रखी होना पाई गई जिसके बारे में पूछने पर बताया कि बैग में 7,50,000 रू0 मेरे स्वयं के है। मौके पर भीड एकत्रित होने एवं वहां पर अग्रिम कार्यवाही में व्यवधान पडने की संभावना होने के कारण श्री सोमदत्त शर्मा को सरकारी गाडी में बैठाकर एवं बैग गवाह श्री मनोज शर्मा को सुपुर्द कर अहिंसा सर्किल से सोमदत्त शर्मा की प्राईवेट गाडी को आगे–आगे रवाना कर पुलिस थाना तिजारा पहुंचे। दोनों गवाहान से बैग में मिली राशि गिनवाई गई तो 500–500 रू0 की 15 गड्डीया है, जिनमें प्रत्येक गड्डी में 500–500 रू0 के 100 नोट मिले, इस प्रकार कुल 7,50,000 रू0 होना पाये गये। उक्त राशि के बारे में पूछने पर श्री सोमदत्त शर्मा ने बताया कि मैने किशनगढबास में श्री दौलत भारती, प्रोपरटी डीलर, गंज रोड किशनगढबास से एक प्लाट खरीदा है, उसका आज मुझे भुगतान दौलत भारती को करना था। इसलिये मैं यह 7,50,000 रू0 की राशि अपने घर से आज इस कार में लेकर अब दौलत भारती के पास जाता और उक्त राशि मैं दौलत भारती को देता। दौलत भारती ने मुझे कहा है कि आज में बाहर हूँ और प्लाट के पैसे शाम को लेकर आ जाना। उक्त राशि 7,50,000 रू0 में से 4,50,000 रू0 मुथुट फाईनेन्स, अलवर में हमारे घर के तीनों भाईयों का सोना गिरवी रखकर तीन–चार दिन पहले गोल्ड लोन के लेकर आया था।, जिसकी हमारे पास रसीद है तथा 3,00,000 रू0 मेरे बहीन माया पत्नि श्री जयराम शर्मा, निवासी गूजूकी, तहसील अलवर, पुलिस थाना अरावली विहार से 3 रूपये सैकडा ब्याज पर कल दिनांक 19.04.2022 को लेकर आया था, जिसके पेटे मैंने अपनी सैलरी एकाउन्ट का चैक भरकर व स्टाम्प पर लिखा–पढी करके दिये है, जिसके बाद ही मेरी बहिन माया ने उक्त तीन लाख रूपये मुझे किसी से दिलवाये थे। इस लिये यह राशि मेरी व्यक्तिगत राशि है। श्री सोमदत्त शर्मा से क्रय किये गये प्लॉट के बारे मे पूछा तो बताया कि तहसील कार्यालय के सामने किशनगढ बास मे मैने दौलत भारती से प्लॉट क्रय किया है। दौलत भारती के पता के बारे मे पूछने पर बताया कि गंज रोड किशनगढ बास का निवासी है। दौलत भारती से वार्ता करवाने हेतु उसके मोबाईल नम्बर के बारे मे पूछने पर बताया कि दौलत भारती के मोबाईल नम्बर मेरे पास नही है। श्री सोमदत्त शर्मा से जब यह पूछा गया कि उक्त राशि श्री दौलत भारती को किशनगढ बास मे देनी थी तो आप भिवाडी की तरफ किस कारण से जा रहे थे, उक्त तथ्य पर श्री सोमदत्त शर्मा चुप रहा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नही की। श्री सोमदत्त शर्मा से उसका मोबाईल प्राप्त किया गया। मोबाईल बरंग आसमानी सैमसंग कम्पनी का है। जिसमे एक एयरटेल कम्पनी की सिम होना बताई। मोबाईल नम्बर पूछने पर मोबाईल नम्बर 9799601291 होना बताया। सिम स्वयं के नाम से होना बताई। उक्त मोबाईल मे श्री जगदीश खीचड अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका तिजारा के मोबाईल नम्बर 8290064729 होना बताते हुये सीमसी के नाम

से अपने मोबाईल मे फीड करना बताया। साथ ही पूछने पर यह बताया कि श्री जगदीश खीचड अधिशाषी अधिकारी मेरे से मोबाईल पर चैट कम करता है तथा अपने भाई श्री श्याम सुन्दर खीचड जो ईओ श्री जगदीश खीचड के साथ ही तिजारा मे ही रहता है, के मोबाईल से मेरे साथ चैट करता है इस पर श्री सोमदत्त से श्री जगदीश खीचड अधिशाषी अधिकारी के भाई श्री श्याम सुन्दर के मोबाईल नम्बर के बारे मे पूछा तो मोबाईल नम्बर 8890567954 होना तथा अपने मोबाईल मे ईओ भाई के नाम से फीड करना बताया। इस पर श्री सोमदत्त शर्मा से प्राप्तशुदा मोबाईल फोन को चैक किया गया तो उपरोक्त तथ्य सही होना पाये गये। मोबाईल मे ईन्स्टोल वाट्सएप को खोलकर चैक किया तो श्री सोमदत्त शर्मा एवं श्री जगदीश खीचड के भाई श्याम सुन्दर के मध्य काफी चैट करना पाया गया। जिसमे दिनांक 19.04.2022 को की गई चैट मे ईओ के भाई के नम्बर से एक पर्ची चैट कर भेजी गई है। जिसमे निम्न विवरण निम्नानुसार पाया गया। 14x90=12600000, 7%, 882000 अंकित है। जिसके नीचे 40 हजार –बन्दर वाला, 100000 गन्ट्री बोर्ड, लिखा होकर इनका योग 10,22,000 अंकित है। जिसमे से 7,38,000 कम करते हुये 2,84,000 बाकी होना अंकित है। उक्त पर्ची मे दूसरी तरफ राशि अंकित होकर उसका योग 7,38,000 अंकित किया हुआ है। जिसके नीचे श्री सोमदत्त शर्मा द्वारा ओके लिखकर उक्त नम्बर पर भेजा गया। उक्त पर्ची के बारे मे श्री सोमदत्त शर्मा ने बताया कि यह नगर पालिका लक्ष्मणगढ मे ईओ श्री जगदीश खीचड अतिरिक्त चार्ज नगर पालिका लक्ष्मणगढ के कमीशन का हिसाब है। आज दिनांक 20.04.2022 को उक्त नम्बर से श्री सोमदत्त के नम्बर पर समय 11.49 पर ईओ भाई के नम्बर से एक चैट मैसेज आया है। जिसमे अंकित किया गया है कि भाई साहब गाडी पंचर हो गई पंचर निकलवा रहा हूं तथा इसके नीचे समय 19.28 पर आये हुये एक मैसेज को डिलीट किया हुआ है। उक्त चैट मैसेज का स्क्रीन शॉट लिया गया तथा उसका प्रिन्ट निकलवाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। श्री वसीम खांन कनिष्ठ लेखाकार से उसका मोबाईल प्राप्त किया। मोबाईल बरंग ब्लू सैमसंग कम्पनी का जिसमे दो सिम क्रमशः जीओ एवं वोडाफोन की लगी हुई होना बताई। जिओ नम्बर 9983860505 एवं वोडाफोन नम्बर याद नही होना बताया। मोबाईल को चैक करने पर वाट्सएप ऐप नही पाया गया। पूछने पर बताया कि मैने कुछ समय पूर्व वाट्सएप ऐप अनस्टॉल करना बताया। श्री वसीम खांन से तिजारा आने बाबत् पूछा तो बताया कि श्री जगदीश खीचड अधिशाषी अधिकारी के पास तिजारा के अलावा लक्ष्मणगढ नगर पालिका ईओ का अतिरिक्त कार्यभार है एवं मेरे पास भी नगर पालिका लक्ष्मणगढ का कनिष्ठ लेखाकार पद का अतिरिक्त कार्यभार है। आज दिनांक 20.04.2022 को श्री जगदीश खीचड अधिशाषी अधिकारी के भाई श्री श्याम सुन्दर के साथ उनकी पर्सनल गाडी से लक्ष्मणगढ से तिजारा आया था। मै व श्री सोमदत्त शर्मा गाडी मे बैठे थे। श्री सुन्दर जोशी ड्राईविंग सीट पर बैठा हुआ था, गाडी नगरपालिका के कुछ दूरी पर खडी हुई थी। तब श्री जगदीश खीचड ईओ हमारे पास आया श्री सोमदत्त शर्मा को गाडी से नीचे उतारकर कुछ वार्ता की और श्री सोमदत्त शर्मा उक्त काला बैग लेकर गाडी मे आकर बैठ गया और हम वहां से रवाना हो गये। अहिंसा सर्किल तिजारा पर पहुंचे ही थे ओर आप लोगो ने हमे रूकवा लिया और पूछताछ कर पुलिस थाना तिजारा पर लेकर आ गये। श्री सोमदत्त शर्मा ने वसीम खांन के उपरोक्त तथ्यों की ताईद की। श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी ने पूछने पर बताया कि मै नगर पालिका मे ठेकेदारी का धन्धा करता हूं। मेरी आनया इलैक्ट्रिकल के नाम से तिजारा मे फर्म है। मैने नगर पालिका तिजारा मे रोड लाईट का पिछले सत्र 2001–22 का टेन्डर 9,80,000 रूपये का लिया था जो माह जनवरी 2022 मे पूर्ण हो गया एवं भुगतान भी मुझे माह जनवरी 2022 मे पूर्ण प्राप्त हो चुका है। इस सत्र मे भी मैने कई कार्यो के टेन्डर लगाये थे उक्त टेन्डर नगर पालिका मे पैन्डिग है। नगर पालिका तिजारा के अलावा मेरे नगर पालिका बानसूर व नगर परिषद भिवाडी मे कई कार्यो के टेन्डर लगाये हुये है। किन्तु अभी तक टेन्डर ऑपन नही हुये है। श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी से उसका मोबाईल प्राप्त किया गया तो मोबाईल बरंग ग्रे सैमसंग कम्पनी का जिसमे एक सिम वोडाफोन कम्पनी की लगी होना बताई। मोबाईल नम्बर 9929161515 होना बताया। मोबाईल को चैक किया गया तो मोबाईल वाट्सएप ऐप अनस्टॉल किया जाना पाया गया। श्री सोमदत्त शर्मा एवं श्री वसीम खांन तथा श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी से प्राप्त उपरोक्त

मोबाईल वास्ते वजह सबूत जप्तकर कब्जा पुलिस लिये गये। श्री सोमदत्त शर्मा ने पूछने पर यह भी बताया कि मैं नगर पालिका मण्डल तिजारा की स्टोर शाखा में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में नगर पालिका तिजारा में अधिशाषी अधिकारी के पद पर श्री जगदीश खिंचड पदस्थापित है। उपरोक्त आकस्मिक चैकिंग मे मिली राशि 7,50,000 रूपये के बारे मे श्री सोमदत्त शर्मा कनिष्ठ लिपिक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संदेहाप्रद एवं तथ्यहीन होने के कारण तलाशी में मिली 7,50,000 रूपये की राशि को वास्ते वजह सबूत जब्त किया गया। श्री सोमदत्त शर्मा द्वारा अवगत करवाया गया कि वाहन संख्या आर0जे0–02–सीजी–0310 मेरे दोस्त श्री राजू विजय निवासी मालाखेडा गेट, राजगढ, जिला अलवर का है, जो मैने पिछले 2 माह से चलाने हेतु लिया हुआ है। उक्त वाहन की 2 माह की किश्त भी मैं ही भर रहा हूँ। श्री सोमदत्त शर्मा से वाहन संख्या आर0जे0–02–सीजी–0310 के कागजात के बारे मे पूछने पर स्वयं के पास वाहन से संबन्धित कोई कागजात होना नही बताया। श्री सोमदत्त शर्मा का वाहन से संबन्धित स्पष्टीकरण संदेहाप्रद होने के कारण उक्त वाहन को वास्ते वजह सबूत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। श्री सोमदत्त द्वारा उपरोक्त जप्त की गई राशि के सम्बन्ध में दिये गये स्पष्टीकरण का मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने मोबाईल से विडियों भी बनया गया। उपरोक्त कार्यवाही जरिये फर्द आकस्मिक चैकिंग पूर्ण की गई। तत्पश्चात जप्तशुदा वाहन को पुलिस थाना तिजारा मे जरिये तहरीर सुपुर्द किया गया। श्री सोमदत्त शर्मा द्वारा राशि के संबध मे दिये गये स्पष्टीकरण के संबध मे उसे राशि से संबन्धित दस्तावेज दिनांक 21.04.2022 को कार्यालय मे उपस्थित होकर पेश करने हेतु तहरीर जारी कर दी गई। श्री सोमदत्त शर्मा एवं श्री वसीम खांन तथा श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत दी गई। बाद कार्यवाही मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाप्ता व गवाहान पुलिस थाना तिजारा से रवाना होकर नगर पालिका कार्यालय तिजारा पहुंचा। वहां पर श्री जगदीश खीचड अधिशाषी अधिकारी के बारे मे मालूमात किया तो उक्त अधिशाषी अधिकारी कार्यालय मे नही मिले तत्पश्चात वहां से रवाना होकर उसके किराये के मकान प्लॉट नम्बर 002 चन्द्रलोक सिटी तिजारा स्थित पर पहुंचकर उनकी जानकारी की गई तो वह अपने किराये के मकान पर भी उपस्थित नही मिला। बाद कार्यवाही हाजिर कार्यालय आया। जप्तशुदा राशि 7,50,000 रूपये एवं मोबाईल श्री भौरेलाल एचसी 33 से जमा मालखाना करवाई गई। दोनो गवाहान को रूखसत दी गई।

दिनांक 21.04.2022 को श्री सोमदत्त शर्मा द्वारा उसके पास मिली अवैध राशि 7,50,000 रूपये के बारे मे दिये गये स्पष्टीकरण जांच हेतु श्री दौलत भारती निवासी जगदम्बा कॉम्पलैक्स गंज रोड किशनगढ बास की जानकारी कर कार्यालय मे तलब किया गया। श्री दौलत भारती निवासी जगदम्बा कॉम्पलैक्स गंज रोड किशनगढ बास के कार्यालय मे उपस्थित आने पर उसे श्री सोमदत्त शर्मा पुत्र श्री पूरण चन्द शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 32 वर्ष निवासी शक्ति की ढांणी, टांकाहेडी तहसील व थाना किशनगढ बास जिला अलवर हाल कनिष्ठ लिपिक नगर पालिका तिजारा जिला अलवर के पास मिली अवैध राशि 7,50,000 रूपये के बारे मे एवं उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे मे अवगत कराते हुये श्री दौलत भारती निवासी जगदम्बा कॉम्पलैक्स गंज रोड किशनगढ बास जरिये तहरीर अवगत कराया कि श्री सोमदत्त शर्मा के पास मिली अवैध राशि 7,50,000 रूपये के बारे मे पूछने पर श्री सोमदत्त शर्मा ने यह रूपये आप से खरीदे गये प्लॉट के पैटे आपको देने जाना बताया। उक्त तहरीर के जवाब मे श्री दौलत भारती ने बताया कि मैने श्री सोमदत्त शर्मा को कोई प्लॉट नही बैचा है और न ही इस संबध मे मेरे पास कोई दस्तावेज है। उक्त तथ्य श्री दौलत भारती द्वारा तहरीरी रिपोर्ट की पुश्त पर अंकन कर अपने हस्ताक्षर किये। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्री सोमदत्त शर्मा द्वारा मिली अवैध राशि के बारे मे उसने दौराने आकस्मिक चैकिंग 4,50,000 रूपये सोना गिरवी रखकर मुथुर फाईनेन्स अलवर से लेना बताया था। उक्त तथ्य की पुष्टि हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस मुथुर फाईनेन्स कम्पनी अलवर पर पहुंचकर प्रभारी अधिकारी मुथुर फाईनेन्स अलवर से श्री सोमदत्त शर्मा द्वारा अपने स्पष्टीकरण मे दिये तथ्य की जानकारी जरिये तहरीर चाही गई तो उन्होने अवगत कराया कि श्री सोमदत्त शर्मा को हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई गोल्ड लॉन नही दिया गया है।

उक्त तथ्य श्री सुभम गुप्ता प्रभारी अधिकारी मुथुर फाईनेन्स अलवर द्वारा तहरीरी रिपोर्ट पर अंकन कर अपने हस्ताक्षर किये।

इस प्रकार आकस्मिक चैकिंग मे मिली 7,50,000 रूपये के बारे मे श्री सोमदत्त शर्मा कनिष्ठ लिपिक द्वारा विधिसम्मत संतोषजनक अपना स्पष्टीकरण नही देने के कारण उक्त द्वारा यह राशि अन्य से मिली भगत कर अवैध राशि वसूल किया जाना पाया गया। श्री सोमदत्त शर्मा कनिष्ठ सहायक, नगर पालिका मण्डल, तिजारा, जिला अलवर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1) (बी) सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी मे प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अतः श्री सोमदत्त शर्मा पुत्र श्री पूरण चन्द शर्मा, जाति ब्राहम्ण, उम्र 32 साल, निवासी शक्ति की ढाणी, टांकाहेडी, तहसील व थाना किशनगढबास, जिला अलवर, हाल कनिष्ठ सहायक, नगर पालिका मण्डल, तिजारा, जिला अलवर के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 13(1) (बी) सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आईपीसी मे बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

भवदीय,

(रवीन्द्र सिंह)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अलवर प्रथम (राज.)।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(बी) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादसं में आरोपी श्री सोमदत्त शर्मा, कनिष्ठ सहायक, नगर पालिका मण्डल, तिजारा, जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 211/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 1872-76 दिनांक 30.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अध्यक्ष, नगर पालिका तिजारा, अलवर/अधीशाषी अधिकारी, नगर पालिका तिजारा, जिला अलवर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।

30.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर